भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3035

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पैदल चलने वालों के लिए अवसंरचना

†3035. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के शहरों में शहरी आवाजाही और समान पहुंच को प्रभावित करने वाली पैदल चलने वालों के लिए अपर्याप्त अवसंरचना, असुरक्षित फुटपाथ, यातायात जाम और निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा शहरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पैदल चलने वालों के अनुकूल सड़कें, साइकिल चलाने की अवसंरचना, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और बेहतर अंतिम छोर तक संपर्क के माध्यम से पैदल चलने योग्य शहरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, वयोवृद्ध नागरिकों और दिव्यांगों के लिए गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं, सुलभ फुटपाथों, सड़क सुरक्षा उपायों और समावेशी आवाजाही की अवसंरचना के विस्तार में क्या प्रगति प्राप्त की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने सघन जनसंख्या वाले शहरों में पैदल चलने वालों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की तुलना में मोटर वाहन अवसंरचना को लगातार प्राथमिकता देने के परिणामों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, सड़कों, फुटपाथों और शहरी परिवहन अवसंरचना सहित शहरी नियोजन की योजना एवं प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्य हैं। इसलिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्थानीय आवाजाही संबंधी स्थितियों के आकलन तथा पैदल चलने वालों के अनुकूल सड़कें, साइकिल चलाने की अवसंरचना, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक

परिवहन और अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा से संबंधित प्रावधानों की योजना बनाने, विकास करने, रखरखाव एवं प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार नीतियों, परामर्शिकाओं, तकनीकी दिशानिर्देशों, योजनागत हस्तक्षेपों और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

(ख) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, **2014**, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, **2006** तथा मेट्रो रेल नीति, **2017** प्रकाशित की हैं, जो एकीकृत भूमि उपयोग एवं परिवहन नियोजन, पैदल यात्री एवं साइकिल-अनुकूल विकास, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने तथा पर्याप्त गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना के प्रावधान को प्रोत्साहित करती हैं। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों में अध्याय **4**–क्षेत्रीय नियोजन दृष्टिकोण के खंड **4.5.1** के अंतर्गत अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा को विशेष रूप से एक अभिन्न तत्व के रूप में मान्यता दी गई है तथा अध्याय **6**–सतत दिशानिर्देशों के खंड **6.1.3** के अंतर्गत सतत शहरी परिवहन नियोजन के भाग के रूप में गैर-मोटर चालित परिवहन और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच का उल्लेख किया गया है।

यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अध्याय **7**–सरलीकृत नियोजन तकनीकें के खंड **7.3.5** तथा तालिका **7.4** में योजना-निर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में पैदल यात्री सुविधाओं, गैर-मोटर चालित वाहनों की अवसंरचना, सार्वजनिक परिवहन तथा समग्र आवाजाही प्रतिरूपों के सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है। अध्याय **8**–अवसंरचना नियोजन के खंड **8.2.3** और **8.2.4** में फुटपाथों तथा साइकिल/गैर-मोटर चालित वाहन मार्गों के लिए नियोजन एवं डिजाइन मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक है। मिशन के अंतर्गत अब तक **431** किमी पैदल यात्री पथों/वॉकवे तथा **43** किमी समर्पित साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, सरकार ने शहरी बस सेवाओं को बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन की पहुंच में सुधार करने, पहले और अंतिम छोर तक संपर्क को मजबूत करने, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने और सतत, स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल शहरी आवाजाही को बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए **100** से अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।

अवसंरचना नियोजन संबंधी अध्याय **8** मे पारगमन-उन्मुख विकास और जन परिवहन से संबंधित आरडीपीएफआई दिशानिर्देशों–के खंड **8.2.15** एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का समर्थन करता है, जिसमे इंटरचेंज एवं फीडर सेवाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोड जुड़े हुए होंगे, मौजूदा सेवाएं आवश्यकता अनुसार होंगी तथा परिवहन टर्मिनलों पर यात्रियों के सुचारु

आवागमन की व्यवस्था होगी । मंत्रालय शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के माध्यम से राज्यों और शहरों को भी सहायता प्रदान करता है। इसके पारगमन-उन्मुख विकास घटक के अंतर्गत, टीओडी कॉरिडोर के अधिसूचना एवं कार्यान्वयन के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। अब तक आठ राज्यों में **39** टीओडी कॉरिडोर के प्रारूप/अंतिम रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिससे टीओडी क्षेत्रों में अधिक फ्लोर एरिया रेशियो/अधिक मंजिलों, बढ़ा हुआ घनत्व तथा अंतिम छोर तक बेहतर संपर्क सुविधा को सक्षम बनाया गया है।
